जिला मत्स्य कार्यालय, गोड्डा।

निविदा की शर्ते :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ Mash Feed (Formulated Spawn Feed) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना, यथा साइज, प्रोटीन की मात्रा (% में) फाईबर की मात्रा (% में) विटामिन का प्रकार, मिनरल मिक्सचर का प्रकार, नमी की मात्रा (% में) आहार संपरिर्वतन दर (FCR). आदि का विवरण देना होगा। जिसमें प्रोटीन न्यूनतम– 30 प्रतिशत तथा वसा– 4 प्रतिशत होना चाहिए। आहार संपरिवर्तन दर (FCR). Low एवं शेल्फ–लाईफ अधिक होना चाहिए।
2. निविदादाता को पैन संख्या एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTIN) की स्व–अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ सामग्री का सील बन्द नमूना (कम से कम 50 ग्राम का पैकेट पॉलिथिन बैग में) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सामग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत केमिकल एनालिसिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा दो अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखें जाएगें तथा इस लिफाफे पर "**तकनीकी प्रस्ताव**" अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनीकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 20,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया हो एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा के पदनाम से, गोड्डा में भुगतेय होगा, दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र (दर प्रस्ताव, डयूटी शुल्क वैट, परिवहन व्यय सहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर "**वित्तीय प्रस्ताव**" अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर "**SPAWN FEED**" हेतु निविदा लिखकर तथा मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। इकाईयों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा। यदि निविदादाता तकनीकी प्रस्ताव में सफल होते है तभी उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दों में अंकित होना चाहिए। जिस–जिस लिफाफे में निविदा पत्र रखा जाएगा, उस पर वस्तु का नाम लिखा होना चाहिए एवं संबंधित उपक्रम/आपूर्तिकर्ता की मुहर होनी चाहिए।
5. सफल निविदादाता को फीड की आपूर्ति गुणवता आधारित मानकों के अनुरूप जिला मत्स्य कार्यालय, गोड्डा के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचा कर आपूर्ति करना होगा, गुणवता के मापदंडों के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाते है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति की राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय निविदादाता L-2 को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायलय में किसी प्रकार का वाद या दावा नहीं किया जा सकेगा।
7. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सुचना के परिर्वतन करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में मैश–फीड आपूर्ति करने का अनुभव विगत तीन वर्षो का (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) तक, पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दिनांक 25.07.2019 को 12.00 बजे दिन तक जिला मत्स्य कार्यालय, गोड्डा में स्वीकार किया जाएगा एवं उसी दिन निविदा 2:30 बजे अपराहन् में खोला जायेगा। आपूर्तिकर्ता स्वयं एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा में भाग ले सकते है।
11. वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 तक का आयकर रिर्टन देना अनिवार्य होगा।
12. माह– मई 2019 तक का अद्यतन GSTIN रिटर्न देना अनिवार्य होगा।

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा।